



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0  
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2022 / 16447

दिनांक: 13 मई, 2022

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक

विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी/स्ववित्त पोषित संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 16-3099/22/2019-3 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-46/2022/903/26-3-2022-4 (215)/90 टी.सी.-III दिनांक 02.05.2020 एवं पत्र संख्या 47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.-III दिनांक 02.05.2022 (प्रति संलग्न)। जिसमें उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययन, उ0प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः निदेशक समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निम्नानुसार समय-सारणी निर्गत की गयी है।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य से अपेक्षा है कि संस्थान स्तर से डिजिटल लॉक कराते हुए उसके प्रिन्ट के साथ में पाठ्यक्रम की समयावधि के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रत्येक वर्ष का सम्बद्धता पत्र, शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की प्रति को निदेशक/प्राचार्य से सत्यापित करते हुए विश्वविद्यालय में दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस को विश्वविद्यालय स्तर पर डिजिटल लॉक कर दिया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)  
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)  
उप कुलसचिव

संख्या- #DocumentNumber#

प्रेषक,

मानिक चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद।
- (2) कुल सचिव, ए 0 के 0 टी 0 यू 0, लखनऊ।
- (3) कुलसचिव, एम 0 एम 0 एम 0 टी 0 यू 0, गोरखपुर।
- (4) कुलसचिव, एच 0 बी 0 टी 0 यू 0, कानपुर।
- (5) निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बांदा/आजमगढ़/  
सोनभद्र/कन्नौज/मैनपुरी/बिजनौर/कमला नेहरू प्रौद्योगिकी  
संस्थान, सुल्तानपुर/उ 0 प्र 0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर/  
बुन्देलखण्ड अभि 0 एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।

लखनऊ दिनांक 09/05/2022

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों एवं प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3, उ 0 प्र 0 शासन के पत्र संख्या-46/2022/903/ 26-3-2022-4(215)/90 टी 0 सी 0 III, दिनांक 02-05-2022 एवं पत्र संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी 0 सी 0 III, दिनांक 02-05-2022 की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरणों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

AR/AD

Shi manoj

भवदीय,  
Signed by मानिक चन्द्र

Date: 09-05-2022 12:57:40

अनु सचिव।

Reason: Approved

Reg.

10/5/2022

AR

AR

10/5/22

2469  
10/05/22

संख्या-4/2022/903/26-3-2022-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।  
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 मई 2022

विषय:

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-235/स०क०/

शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-22.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट

जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा

9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक

करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का

प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र

2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का

मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से

वितरण हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	कार्यवाही की समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना। जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	10 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता एवं स्वीकृत सीटों की संख्या की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	01 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।
कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में		
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	18 मई 2022 से 01 जुलाई 2022 तक।
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र। लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल

16/PSA/22

विस्तार

Pl. Circulate.

महोदय,

04-05-2022

(सुभाष चन्द्र शर्मा)

प्रमुख सचिव

प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक

एवं कौशल विकास विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

5335/USRC/22

D.S.

4

05/5/22

(सुनील कुमार चौधरी)

विशेष सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

5/5/22

	स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित सलगनकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम 05 जुलाई 2022 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	20 मई 2022 से 07 जुलाई 2022 तक।
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा ऑनलाईन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	10 मई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक।
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	25 जुलाई 2022 तक। ( नया अंग प्रामाण्य ) कार्यवाही के अन्तर्गत जिला कार्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्रमाणित किया जायेगा।
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	19 जुलाई 2022 से 05 अगस्त 2022 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	09 अगस्त 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही डाटा वाले छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	11 अगस्त 2022 तक।
क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (द्वितीय चरण)	कार्यवाही की समयावधि (कक्षा 9-10 हेतु)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना। जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना। तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	20 जुलाई 2022 से 16 अगस्त 2022 तक।

2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	17 अगस्त 2022 से 20 सितम्बर 2022 तक।
कक्षा 9-10 के अवशेष नवीन (Fresh) तथा नवीनीकरण (Renewa) के छात्र-छात्राओं हेतु।		
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	02 जुलाई से 07 अक्टूबर 2022 तक।
4	छात्र द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर। विलम्बतम 14 अक्टूबर 2022 तक।
6	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना-अपात्र-छात्रों-का-डाटा-निरस्त करना तथा पात्र-छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	07 जुलाई से 20 अक्टूबर 2022 तक।
7	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	20 नवम्बर 2022 तक।
8	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	21 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2022 तक।
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	05 नवम्बर से 15 नवम्बर 2022 तक।
10	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 18 नवम्बर 2022 तक।
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	07 नवम्बर 2022 से 24 नवम्बर 2022 तक।
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	25 नवम्बर 2022 से 01 दिसम्बर 2022 तक।
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र-छात्रों की	05 नवम्बर 2022 से 05 दिसम्बर 2022 तक।

	छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	10 दिसम्बर 2022 तक।
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 दिसम्बर 2022 तक।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by <sup>भवदीय</sup> रजनीश चन्द्र

Date 02-05-2022 15:50:16  
विशेष सचिव

प्र0सं0-46/2022/903 (1)/26-3-2022 तददिनांक:-

Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)  
विशेष सचिव।

संख्या-~~4~~ 7/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।  
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 मई 2022

विषय:

वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-233/स०क०/ शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-22.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (सुभाष चन्द्र सिंह) के माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में प्रमुख सचिव, उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

- 2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते	3 05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक।

17/PSH/22  
वि०स०(5)

Pl. circulate

04-05-2022

(सुभाष चन्द्र सिंह)  
प्रमुख सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा  
एवं कौशल विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन

5376/USP/22

D.S.

05/5/2022

(सुनील कुमार चौधरी)  
विशेष सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग 1  
उत्तर प्रदेश शासन

503

05.5.22

श्रीमती श्रीमती

5.5.22

	हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश] लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
1बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाये भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार] पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क] पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) ,पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोट-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम ,पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी] बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाईन लाक किया जाना।	07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।



	संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाइन लॉक किया जाना।	
	कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु	
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	10 मई] 2022 से 07 जुलाई] 2022 तक।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल] इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय] जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र] लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर] विलम्बतम 11 जुलाई] 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 मई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक।
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों] शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	05 मई] 2022 से 05 दिसम्बर 2022 तक।
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 अगस्त] 2022 तक।
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त	14 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022

	किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	तक।
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	26 जुलाई 2022 से 07 अगस्त 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	11 अगस्त 2022 तक।
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	14 अगस्त 2022 तक।
<b>कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्थाओं हेतु</b>		
क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (द्वितीय चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या/ सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश] लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश]	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।

	3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक। (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी] वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन लॉक किया जाना।	26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाईन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाईन लॉक किया जाना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 07 नवंबर 2022 तक।
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 नवंबर 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के सम्स्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक।
8	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा थापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।
दोनों चरणों के संदेहास्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत डाटा का परीक्षण एवं डाटा सत्यापन तथा भुगतान हेतु समयावधि		

13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
15	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर 2022 तक।
16	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।
17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक।
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	21 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/ बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 फरवरी 2023 तक।

**नोट:-**

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/ उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** आप्सन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित

- कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
Signed by रजनीश चन्द्र

Date: 02-05-2022 15:44:18  
विशेष सचिव।

Reason: Approved

पू0सं0- 47 / 2022 / 902 (1) / 26-3-2022 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/द्विकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)  
विशेष सचिव।